

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ग्रा0 वि0 अधिकारी/टैग अधिकारी/ई-मित्र आदि के माध्यम से)

ग्राम पंचायत पंचायत समिति.....
प्रार्थी का वर्ग(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य)
(परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवास किया जावे)

आवेदक का फोटो
आवेदक द्वारा
प्रमाणित

(पंचायत समिति के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक क्र.सं. के क्रम में)

(पात्रता:- सैक-2021 के आधार पर तैयार की गई वरियता सूची, जिन्होंने पूर्व में किसी भी योजनान्तर्गत आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में पक्का आवास नहीं है)

1. आवेदक का नाम- श्री/श्रीमती/सुश्री
2. पति/पिता का नाम
3. PWL-2021 की वरीयता सूची में दर्ज परिवार के मुखिया का नाम आवेदक के परिवार के मुखिया से सम्बन्ध
4. (I) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) (II) जीब कार्ड नं0
(III)एसबीएम आईडी नं0 (IV) जनाधार नं0
5. आवेदक का PWL-2021 के अनुसार वरीयता क्रमांक
6. आवेदक (यदि दिव्यांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. पूर्ण पता (मौहल्ला/डांगी/मगरा)
8. ग्राम ग्रा. पं. पोस्ट पं.स. जिला
9. प्रार्थी का मोबाइल नं0 (स्वयं का मो0 नहीं होने पर पड़ोसी/रिश्तेदार का मो. नं0
10. पट्टा धारक का पूरा नाम
11. यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा आवेदक के नाम नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि(कृषि भूमि/आबादी भूमि का ब्यौरा :-
12. प्रस्तावित जमीन - चारागाह/जोड़ड़ पायतान/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थल नहीं है।
13. सीबीएस आधारित बैंक का खाता संख्या शाखा आईएफएससी कोड (पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें।)
14. मैं/मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, व वर्तमान में पक्का मकान नहीं है एवं निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं :-
 1. मोटर साइकिल तिपहिया/चौपहिया वाहन होने पर - नहीं है।
 2. मेकेनाइज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर - नहीं है।
 3. किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर - नहीं है।
 4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी - नहीं है।
 5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर - नहीं है।
 6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रुपये 15 हजार प्रति माह या अधिक होने पर - नहीं है।
 7. इन्कम टैक्स दाता होने पर - नहीं देता हूँ।
 8. व्यवसायिक करदाता होने पर - नहीं देता हूँ।
 9. स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि होने पर - नहीं है।
 10. स्वयं की 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि होने पर - नहीं है।
15. सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लॉट क्षेत्र का नवीन आवास निर्माण अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था मैं अपने स्तर पर स्वयं करूंगा।
संलग्न :- (1) सीबीएस बैंक खाता पासबुक की फोटो प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
(2) प्रस्तावित जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
(3) दिव्यांग हो तो प्रमाण पत्र की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)

हस्ताक्षर सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम)

सम्पूर्ण आवेदन ग्राम विकास अधिकारी/ई-मित्र/टैग अधिकारी/पंचायत समिति को प्रस्तुत करने की दिनांक

—: प्राप्ति रसीद :-

श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्री/पुत्र/पति/श्री ग्रा.पं. का प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु आवेदन(प्रपत्र-1) मय फोटो एवं संलग्न विवरण दिनांक को प्राप्त किया।

नोट :- उक्त आवेदन पत्र सीएससी/ई-मित्र केन्द्र, टैग अधिकारी, कार्यालय ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति में से किसी भी एक जगह जमा कराया जा सकेगा।
शिकायत/समस्या हेतु/ पंचायत समिति/जिला परिषद कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय मोबा. नं. 9118057308 whatsapp/sms/phone करें।